राजस्थान–सरकार
शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक : प.17(11)शिक्षा–6/2010/पार्ट   दिनांक : 13.03.2018

प्रेषिति :–

1. निदेशक,
   माध्यमिक शिक्षा,
   राजस्थान, बीकानेर
2. निदेशक,
   प्रारम्भिक शिक्षा,
   राजस्थान, बीकानेर
3. राज्य परियोजना निदेशक,
   राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
   जयपुर।
4. आयुक्त,
   राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्,
   जयपुर

DD ESR

विषय :– राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा–निर्देश।

महोदय,

राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग के संबंध में पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में नवीन दिशा–निर्देश संलग्न अनुसार जारी किये जाते हैं।

जिन प्रकरणों में पूर्व के दिशा–निर्देशानुसार स्वीकृति जारी की जा चुकी है, उनमें पूर्वानुसार ही कार्यवाही की जावे। जो प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, उनमें पूर्व/नवीन दिशा–निर्देशों में से किसी एक के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु विकल्प/सहमति संबंधित भामाशाहों/दानदाताओं से ली जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर
23 MAR
पत्र प्राप्ति
1122

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
13/3/18
(घनश्याम लाल शर्मा)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

विद्यालय के भामाशाह योजना

Vidyalya ke Bhamashah Yojana

(With Reference to Corporate social Responsibility Concept)

शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकिर।

(सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से दान करो।) —अथर्ववेद (3/24/5)

दक्षिणावान् प्रथमो हूत एति, दक्षिणावान ग्रामणीर ग्रमेति।
तमेव मन्ये जानानां यः प्रथमो दक्षिणा माविवाय।।

(दानशील व्यक्ति प्रत्येक शुभ कार्य में सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाता है, वह समाज में ग्रामणी (अर्थात प्रमुख) होता है अग्र स्थान पाता है। जो लोग सबसे पहले दक्षिणा देते हैं, वे जन-समाज के नृपति माने जाते हैं।) —ऋग्वेद (10/107/5)

राजकीय विद्यालयों के विकास में दानदाताओं/भामाशाहों/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग बाबत नवीन दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 राजस्थान सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में विद्यालयी शिक्षा का उन्नयन करने हेतु बडे पैमाने पर सुधारात्मक कार्य किए गए हैं जैसे– विद्यालय समन्वयन व सुदृढीकरण, राजकीय विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन एवं विद्यालय तथा शिक्षकों को प्रभावी सम्बलन प्रदान करने के लिए प्रशासनिक ढांचे का सुदृढीकरण।

1.2 विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्षों, खेल मैदान, फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री, विद्युत एवं स्वच्छ पेयजल, शौचालय सुविधा व आईसीटी/कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर इन्हें सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

1.3 राजस्थान में स्कूल शिक्षा के ढांचागत एवं गुणवत्ता सुधार में केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों में विभिन्न प्रकार से गतिविधियां संचालित करायी जाती है। उनके द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/अक्षय पेटिका में सीधा आर्थिक योगदान कर अथवा इसकी सहमति के पश्चात स्वयं के स्तर से कार्य करवाये जाते है।

1.4 Corporate Social Responsibility (CSR), दानदाताओं एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–07–2017 के द्वारा ऑनलाईन प्लेटफार्म ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।

1.5 दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालय में किये गये कार्य व योगदान के लिए प्रतिवर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर सम्मानित किये जाने का प्रावधान है। भामाशाहों/दानदाताओं से सहयोग प्राप्त करने एवं उनके सम्मान हेतु अनेक दिशा–निर्देश समय–समय पर जारी किये गये है। अतः पूर्व में जारी सभी दिशा–निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए समस्त राजकीय विद्यालयों, राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं राजकीय छात्रावासों को प्रदत्त सहयोग के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते है–

2. विद्यालयों में दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थानों के सहयोग से विकास कार्य करवाने हेतु प्रकिया

2.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से

2.1.1 दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान सीधे ही विद्यालय में विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति की सहमति से विद्यालय में आधारभूत संरचना एवं गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य एवं आर्थिक योगदान विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाते में कर सकते है। कार्य का कियान्वयन सम्बन्धित दानादाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान स्वयं अथवा चयनित संस्था अथवा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से करवाया जा सकता है।

2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से

2.2.1 राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–07–2017 द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु Corporate Social Responsibility के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।

2.2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल/मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से सहयोग हेतु निम्नलिखित पांच श्रेणियाँ है–

i. पोर्टल पर प्रदर्शित प्रोजेक्ट हेतु सहयोग ।
ii. दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा स्वयं का प्रोजेक्ट बनाकर सहयोग।
iii. विद्यालय को गोद लेना।
iv. विद्यालय विशेष को सहयोग राशि प्रदान करना।
v. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान करना।

2.2.3 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर में छूट देय है। इस कोष का उपयोग राज्य सरकार द्वारा आदेश

क्रमांक– प. 4 (7) शिक्षा–1/2014 दिनांक 11–10–2017 से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु किया जाता है। **(परिशिष्ट–1)**

3. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों के लिए प्रोत्साहन

3.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार भामाशाह/दानदाताओ/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयो में कराये गये विकास कार्यो के लिए प्रोत्साहन **परिशिष्ट–2** के अनुसार दिया जावेगा

4. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा दिये गये योगदान के आधार पर विद्यालयों के नामकरण हेतु मानदण्ड

4.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार केवल भामाशाह/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा विद्यालय के विकास में किये गये योगदान के आधार पर बिन्दु संख्या–3 पर देय प्रोत्साहन के अतिरिक्त विद्यालयों का नामकरण किये जाने के निम्नानुसार मानदण्ड होंगे–

i. **प्राथमिक विद्यालय हेतु** – 30 लाख रूपये से अधिक योगदान पर

ii. **उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु** – 60 लाख रूपये से अधिक योगदान पर

iii. **माध्यमिक विद्यालय हेतु** – 150 लाख रूपये से अधिक योगदान पर

iv. **उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु** – 200 लाख रूपये से अधिक योगदान पर

4.2 बिन्दु संख्या– 4.1 पर निर्धारित मानदण्ड की समीक्षा प्रत्येक दो वर्ष में की जावेगी।

4.3 विद्यालय के नाम के पूर्व में केवल भामाशाह/व्यक्तिगत दानदाता का स्वयं का नाम अथवा उसके द्वारा निर्धारित नाम अंकित किया जावेगा। उदाहरण स्वरूप– श्रीमती कौशल्या देवी द्वारा बिन्दु संख्या 4.1 के अनुसार राशि का कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर में कराये जाने पर विद्यालय का नामकरण **श्रीमती कौशल्या देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर** किया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय के नाम से राजकीय शब्द नहीं हटाया जावेगा।

4.4 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा नामकरण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावेगा एवं नामकरण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जावेगी।

4.5 बिन्दु संख्या 4.1 पर वर्णित राशि विद्यालय के विकास हेतु व्यय की जावेगी, इसमें भूमि की कीमत शामिल नहीं होगी। परन्तु बिन्दु संख्या–3 पर वर्णित अन्य प्रोत्साहनों की गणना हेतु भूमि की कीमत भी सम्मिलित होगी।

4.6 वस्तु रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति संस्था प्रधान को उपलब्ध कराने पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का एसडीएमसी से प्रमाणिकरण उपरान्त निर्धारित की जाएगी।

4.7 नामकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया

4.7.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से विद्यालय में किये गये कार्यों के मामले में संबंधित विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन व विकास समिति/विद्यालय विकास समिति के अनुमोदन उपरान्त प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा को भिजवाया जाएगा।

4.7.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किये गये कार्य के मामले में प्रकिया निम्नानुसार होगी:–

i. ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु Create A CSR Project श्रेणी में भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा विद्यालय में स्वयं द्वारा कार्य करवाने की स्थिति में कार्य पूर्णता पश्चात् तथा जहां कार्यकारी संस्था विभाग को बनाया गया हो उस पूर्ण लागत राशि हस्तान्तरित होने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में गठित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात् संबंधित निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।

ii. ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु Donate to A School श्रेणी में भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान सहयोग राशि हस्तान्तरित होने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में गठित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात् संबंधित निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।

iii. वस्तु के रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति के आधार पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का निर्धारण

जिला संवीक्षा समिति द्वारा किया जाकर राज्य संवीक्षा समिति को भिजवाया जायेगा।

iv. पोर्टल के माध्यम से Adopt A School श्रेणी के अन्तर्गत गोद लिये जाने पर–

अ. विद्यालय पर कुल अनावर्ती व्यय बिन्दु संख्या– 4.1 के अनुसार होने की स्थिति में भी तदनुरूप नामकरण किया जा सकेगा।

ब. विद्यालय पर कुल अनावर्ती व्यय बिन्दु संख्या– 4.1 में प्रावधित राशि से कम होने पर विद्यालय के नाम के साथ तीन वर्ष हेतु संक्षिप्त में दिनांक एवं सत्र सहित यह लिखा जा सकेगा कि यह विद्यालय तीन वर्ष के लिए उक्त भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा गोद लिया गया है।

उदाहरण के तौर पर –

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलासर बीकानेर	
(यह विद्यालय एबीसी कम्पनी द्वारा तीन वर्ष के लिए गोद लिया गया है)	
सत्र 2017–18 से 2019–20 तक	दिनांक 01.07.2017 से 01.07.2020

5. राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन

5.1 राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किये जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर राज्य स्तर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जावेगा।

5.2 राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पूर्व की भांति राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

5.3 मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुरूप दिये गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

6. जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन

6.1 राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किये जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती

के अवसर पर प्रत्येक जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जावेगा।

6.2 मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–3 के प्रावधानों के अनुरूप दिये गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

6.3 समस्त जिलों में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित कराने के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा– प्रथम नोडल अधिकारी होंगे। प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6 (18) प्र.सु. /अनु.3/2016 दिनांक 30–03–2016 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित **जिला शिक्षा सलाहकार समिति (परिशिष्ट–3)** कार्यक्रम हेतु आयोजन एवं चयन समिति के रूप में कार्य करेगी।

6.4 जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिले के जनप्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमन्त्रित किया जावेगा।

7. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को राजकीय विद्यालयों में सहयोग हेतु प्रेरित करने वालों के लिए प्रोत्साहन

7.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष (01 अप्रेल से 31 मार्च) की अवधि में किसी राजकीय विद्यालय को सहयोग हेतु एक या एक से अधिक भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में **"शाला प्रेरक"** की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।

7.2 दान एवं सहयोग राशि के लिए किसी एक विद्यालय को एक इकाई माना जायेगा।

7.3 तीस लाख रूपये या इससे अधिक धन राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।

7.4 पांच लाख एवं अधिक तथा तीस लाख रूपये से कम की राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।

7.5 भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा संबंधित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) को लिखित में अवगत करवाये जाने पर कि उनके द्वारा प्रदत्त योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण लिखित में सम्बन्धित संस्था प्रधान को उपलब्ध करवा जाने पर संस्था प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वयं के स्तर पर

की जाएगी तथा सही पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को शाला प्रेरक हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र में सम्मानित किए जाने हेतु प्रेरक के नाम की अभिशंषा की जाएगी।

7.5.1 राज्य स्तर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मण्डल उप निदेशक को एवं उप निदेशक, निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा को उचित माध्यम द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समेकित रूप से तैयार कर भेजेंगे, जिसके साथ चयनित शाला प्रेरक के आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न कर प्रेषित करेंगे।

7.5.2 जिला स्तर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला स्कूल सलाहकार समिति (चयन समिति) को भेजेंगे।

परिशिष्ट–2

भामाशाह/दानदाताओं/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराये गये विकास कार्यो के लिए प्रोत्साहन

क्र. सं.	सहयोग का स्तर/ कार्य या वस्तु लागत	प्रोत्साहन का विवरण	प्रक्रिया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	**शिक्षा मित्र** 5000 रूपये से 25 हजार रूपये	विद्यालय में सहज दृश्य स्थान पर विभिन्न दानदाता/ भामाशाह/ औद्योगिक संस्थानों से प्राप्त सहयोग प्रदर्शित करने वाली पट्टिका (भामाशाह बोर्ड) संस्था प्रधान द्वारा लगाई जावेगी।	माह में कम से कम एक बार उक्त बोर्ड को अद्यतन किया जाएगा एवं उस दिनांक तक प्राप्त सहयोग राशि व दानदाता का विवरण अंकित किया जावेगा।	
2	**शिक्षा साथी** 25 हजार रूपये या अधिक राशि (किसी सम्पूर्ण कार्य अथवा वस्तु विशेष हेतु) या लागत मूल्य कार्य /वस्तु से 1 लाख रूपये तक	• क.सं.–1 की श्रेणी को देय प्रोत्साहन	• क.सं.–1 की श्रेणी के अनुसार	
		• सहयोग से प्राप्त वस्तु/ निर्मित कार्य पर दानदाता/ भामाशाह/औद्योगिक संस्थान का नाम व लोगो (यदि कोई हो तो)	• वस्तु या राशि प्राप्त होने/ निर्माण कार्य पूर्ण होने के दस दिवस में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति से कॉलम–3 के अनुसार प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव अनमुोदित करवाया जाएगा • अनुमोदन के 5 दिवस में नाम व लोगो लिखवाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी।	कॉलम संख्या 2 में अंकित राशि से पूर्ण ईकाई (निर्माण /वस्तु) होने की स्थिति में ही देय

1	2	3	4	5
3	**शिक्षा श्री** 1 लाख रूपये से अधिक व 15 लाख रूपये तक	• क.सं.–1 व 2 श्रेणी को देय प्रोत्साहन	• क.सं.–1 व 2 की श्रेणी के अनुसार	
		• शिक्षा विभाग राजस्थान की पत्रिका शिविरा के वार्षिकांक में प्रकाशन	• ज्ञान संकल्प प्रकोष्ठ बीकानेर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर उपलब्ध सूचना एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर सूची तैयार की जावेगी एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से प्रस्ताव अनुमोदित करवाकर शिविरा में प्रकाशन की व्यवस्था की जावेगी।	
		• प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर आगामी **जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह** (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जायेगा।	• **ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु–** ✓ जिला संवीक्षा समिति चयन कर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे। • **विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु–** ✓ सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे।	

1	2	3	4	5
4	**शिक्षा भूषण** 15 लाख रूपये से अधिक व 1 करोड रूपये तक	• क्र.सं.–1, 2 व 3 श्रेणी को देय प्रोत्साहन **(जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान को छोडकर)**	• क्र.सं.–1, 2 व 3 की श्रेणी के अनुसार	
		• ज्ञान संकल्प पोर्टल के **"हॉल ऑफ फेम"** पर दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान का नाम प्रदर्शित करना।	• सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रामाशिप जयपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर **"हॉल ऑफ फेम"** में नाम प्रदर्शन की व्यवस्था करवायेगा।	
		• प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर राज्य स्तर पर आयोजित **भामाशाह सम्मान समारोह** (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जायेगा।	• **ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु–** ✓सीएसआर प्रकोष्ठ, मा. शि. नि. बीकानेर चयन कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदन पश्चात् नोडल एजेन्सी को भेजेंगे। • **विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु–** ✓सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा सहित सम्बन्धित निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित करेंगे जो अनुशंषा सहित निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।	

56

1	2	3	4	5
5	**शिक्षा विभूषण** 1 करोड रूपये से अधिक	• क्र.सं.–1, 2, 3 व 4 श्रेणी को देय प्रोत्साहन **(जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान को छोडकर)**	• क्र.सं.–1, 2, 3 व 4 की श्रेणी के अनुसार	
		• ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी का प्रकाशन	• सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रामाशिप जयपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी प्रदर्शन की व्यवस्था करवायेगा।	